लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 18/ 2022
GCMS NO. : 2022/77

प्रार्थी /अपीलार्थी :-

श्री विशाल चेलावत पिता श्री श्याम सुन्दर चेलावत निवासी मोहन कोलोनी, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:-

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 21–12–2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 19–10–2022 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। जिसके कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनाक 24–11–2022 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक न्याय/ RTI/ 2022/ 4643 दिनांक 21–12–2022 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13–10–2022 को प्रस्तुत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 21.10.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्रांक 4430 दिनांक 17.11.2022 से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु पत्र द्वारा सूचित किया गया है।

दिनांक 21–12–2022 को प्रत्यर्थी एवं अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित है। अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि मेरे द्वारा उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा के कार्यालय में प्रस्तुत [illegible] पत्र के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा के पत्रांक 4430 दिनांक 17.11.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:09:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with Oken Scanner

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा श्रीमान् को प्रस्तुत जवाब पत्रांक 4643 दिनांक 21.12.2022 अनुसार वांछित प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2020 की प्रति उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा को करा दुंगा।

हमने पत्रावली का एवं लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 19–10–2022 को प्रस्तुत किया है। उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा पत्रांक 4430 दिनांक 17.11.2022 से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र का स्पष्ट उल्लेख करने हेतु सूचित किया गया है। जिस पर अपीलार्थी ने उपस्थित होकर कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा के पत्रांक 4430 दिनांक 17.11.2022 एवं श्रीमान् को प्रस्तुत जवाब पत्रांक 4643 दिनांक 21.12.2022 अनुसार वांछित प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2020 की प्रति उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा को उपलब्ध करा दुंगा। अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा को आदेशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार के तहत आवेदन दिनांक 19.10.2022 में स्पष्ट विवरण/ प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2020 की प्रति अपीलार्थी द्वारा दिये जाने पर अपीलार्थी को सूचना 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे।।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) I.A.S.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.01.11 10:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner